

हाथ से जाने बढ़े  
पह सुवहरा  
**राजौका**



प्रधान मंत्री  
आवास योजना-शहरी  
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban



# बिरसानगर में निर्माणाधीन **प्रधानमंत्री आवास** के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी

## Application invited for PM housing in Birsanagar

**Jamshedpur, Nov 23:** As part of the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) of Jamshedpur Notified Area Committee, 9592 houses are to be constructed in 32 blocks according to G+8 structure, the affordable housing project being implemented by JNAC in Birsanagar Jamshedpur. An official of JNAC informed that an applicant could not submit the application for housing as permission has been given to apply for such people. Interested applicants can submit their application to the Notified Area Committee till further orders.

The following documents are required to apply: The residents of Jamshedpur ACS since June 17, 2015, V bank account, income certificate, photocopy of Aadhar card of family members get registered with the concerned body. Rs.5000 per copy of the Aadhar card of the member.

### बिरसानगर में पीएम आवास के लिए जमशेदपुर अक्षेस में करे आवेदन

जमशेदपुर (एप्र)। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक-3 अन्तर्गत बिरसानगर जमशेदपुर में बन रहे किफायती आवास परियोजना जी\$8 संरचना के अनुरूप 32 ब्लॉक में कुल 9592 आवासों का निर्माण किया जाना है। यदि कोई आवेदक अब तक आवास हेतु आवेदन जमा नहीं कर सके ऐसे लोगों के लिए एक बार फिर से आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है, इच्छुक आवेदक अगले आदेश तक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:- जो लोग 17 जून 2015 के पूर्व से जमशेदपुर अक्षेस के निवासी हो, प्रमाणपत्र में वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र तीन लाख या तीन लाख से कम, आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड को प्रति, संबंधित बैंक में 5000 रुपए का भुगतान कर पंजीकरण करा ले। पंजीकरण पुस्तिका में स्पष्ट उल्लेख करे की आवेदक बिरसा नगर परियोजना में आवास लेने को इक्षुक है। आवंटन से पूर्व आवेदन वापस लेने अथवा जो लाभार्थी प्रतिक्षा सूची में होंगे उनकी राशि वापस कर दी जायेगी।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार